सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं: NCST/DEV-140/CG/9/2021-RO-RPR

दिनांक: 05/05/2026

अपर मुख्य सचिव,
वन विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन,
महानदी भवन, नया रायपुर,
अटल नगर, छत्तीसगढ़-492002
ई-मेल: ps-forest.cg@gov.in

विषय: श्री रामलाल कुमेटी, ग्राम – शारदा, पोस्ट – सरखेड़ा, श्री दारसुराम, ग्राम – मुंदेली, पोस्ट – सरखेड़ा, श्री चैनसाय, ग्राम – कोड़, पोस्ट – कंदाड़ी, श्री कंगलूराम, ग्राम – चांवरगाँव, पोस्ट – कनेली, श्री रामजी, ग्राम एवं पोस्ट – कनेली, श्री रमेश कुमार, ग्राम – खेड़ेगांव, पोस्ट – तेरेगांव, श्री सनकुराम, ग्राम – कोराचा औंधी (खेड़ेगांव), पोस्ट – तेरेगांव, एवं अन्य अभ्यावेदकगण, तहसील - मानपुर, जिला - राजनांदगाँव (छ.ग.) से प्राप्त अभ्यावेदनों, "रूढ़ी प्रथा ग्रामों में गौणलघु वनोपज तेंदुपत्ता संग्रहण एवं खरीदी - बिक्री करने बाबत ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 25.02.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री रामलाल कुमेटी,
ग्राम-शारदा, पोस्ट-सरखेड़ा,
तहसील-मानपुर, जिला – राजनांदगाँव, छत्तीसगढ़

श्री चैनसाय,
ग्राम – कोड़, पोस्ट – कंदाड़ी,
तहसील - मानपुर, जिला – राजनांदगाँव, छत्तीसगढ़

श्री रामजी तुलावी,
ग्राम एवं पोस्ट - कनेली,
तहसील - मानपुर, जिला – राजनांदगाँव, छत्तीसगढ़

श्री सनकुराम,
ग्राम – कोराचा औंधी (खेड़ेगांव), पोस्ट – तेरेगांव,
तहसील - मानपुर, जिला – राजनांदगाँव, छत्तीसगढ़

श्री दारसुराम मंडावी,
ग्राम-मुंदेली, पोस्ट-सरखेड़ा,
तहसील-मानपुर, जिला – राजनांदगाँव, छत्तीसगढ़

श्री कंगलूराम,
ग्राम – चांवरगाँव, पोस्ट – कनेली,
तहसील - मानपुर, जिला – राजनांदगाँव, छत्तीसगढ़

श्री रमेश कुमार,
ग्राम – खेड़ेगांव, पोस्ट – तेरेगांव,
तहसील - मानपुर, जिला – राजनांदगाँव, छत्तीसगढ़

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

अनुसंधान एकक-I

फाइल संख्या: NCST/DEV-140/CG/9/2021-RO-RPR

बैठक की कार्यवाही (Minutes of the Sitting)

श्री रामलाल कुमेटी एवं अन्य निवासी जिला-राजनांदगाँव, छत्तीसगढ़) द्वारा ग्राम चांवरगांव, कोण्डाल, रानवाही, खेड़ेगांव एवं कनेली, तहसील-मानपुर, जिला-राजनांदगाँव (छत्तीसगढ़) में गौण लघु वनोपज (तेंदूपत्ता) के संग्रहण एवं विपणन को रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के माध्यम से संचालित किए जाने के सम्बन्ध में आयोग को प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 21/8/2021 पर दिनांक 25.02.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष हुई सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग /सुनवाई की दिनांक : 25.02.2026

सिटिंग /सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

श्री रामलाल कुमेटी, श्री दारसुराम मंडावी, श्री चैनसाय, श्री कंगलूराम, श्री रामजी तुलावी, श्री रमेश कुमार एवं श्री सनकुराम ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 21/8/2021 के माध्यम से अवगत कराया कि ग्राम चांवरगांव, कोण्डाल, रानवाही, खेड़ेगांव एवं कनेली, तहसील-मानपुर, जिला-राजनांदगाँव अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1), 13(3)(क), अनुच्छेद 19(5) एवं (6), अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम, 1996 तथा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए आदिवासी संस्कृति, रूढ़ी-प्रथा, परंपरा एवं जल-जंगल-जमीन के संरक्षण के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण एवं विपणन ग्राम सभा के माध्यम से किए जाने की मांग उठाई है।

प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 03.12.2021 को मुख्य अवर सचिव, वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन; सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़; प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नया रायपुर; तथा प्रबंध निदेशक, वन लघोपज, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर को तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया था।

आयोग के नोटिस के क्रम में प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 12.01.2022 में उल्लेख किया गया कि तेंदूपत्ता संग्रहण एवं विपणन की प्रक्रिया राज्य शासन की सहकारी संरचना के माध्यम से संचालित की जाती है तथा प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से क्रय-विक्रय किया जाता है। विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि संग्रहण कार्य निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित हो रहा है तथा भुगतान प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित दरों पर की जाती है। तथापि शिकायतकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदुओं, विशेषतः ग्राम सभा के माध्यम से स्वतंत्र विपणन एवं बिचौलियों की भूमिका संबंधी मुद्दों पर स्पष्ट एवं बिंदुवार उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 12/1/2022 में उल्लेखित जवाब असंतोषजनक होने के कारण आयोग की माननीय सदस्या (डॉ. आशा लकड़ा) द्वारा दिनांक 07.06.2024 को सभी संबंधित प्राधिकारियों के साथ बैठक/सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित अनुशंसाएँ की गई थीं:-

1. उन शिकायतकर्ताओं का विवरण आयोग को उपलब्ध कराया जाए जो प्राथमिक सहकारी समिति के सदस्य हैं।

2. मोहल्ला मानपुर चौकी के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक सहकारी समिति का विवरण एवं यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाए कि संबंधित समितियां शिकायतकर्ताओं के क्षेत्र का तेंदूपत्ता एकत्रित कर रही हैं।

3. ऐसे शिकायतकर्ताओं का विवरण उपलब्ध कराया जाए जो अपनी उपज (तेंदूपत्ता) को बिचौलियों के हस्तक्षेप के बिना विक्रय कर रहे हैं एवं उचित मूल्य प्राप्त कर रहे हैं।

4. कथित ग्रामों का वन प्रशासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर जिला सहकारी समिति (तेंदूपत्ता) के सदस्यों के नाम सहित निरीक्षण प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया जाए।

5. दिनांक 25.02.2026 को आयोग में सुनवाई की गई जिसमें उपस्थिति पंजिकानुशार वन तथा विधि अधिकारी उपस्थित थे। अभ्यावेदन करने वाले 5 गांवों ने तेंदू पत्ते के निस्तारण का अधिकार की मांग की थी। अधिकारियों ने इस संबंध में आयोग को बताया की वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में तेंदू पत्तों का निस्तारण सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है जिसमें ग्राम सभा सदस्य तथा हितधारक के रूप में भागीदारी करतें हैं। किंतु, वर्तमान नियमानुशार यदि ग्राम स्वयं से निस्तारण का अधिकार चाहता है तो इस संबंध में कोई भी स्पष्ट जवाब प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त नहीं हो सका।

आयोग की उक्त अनुशंसाओं पर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ शासन से प्राप्त जवाब दिनांक 02/08/2024 के द्वारा सूचनायें पूर्ण प्राप्त नहीं होने के कारण दिनांक 25/2/2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सुनवाई आहूत की गई।

सुनवाई तिथि को श्री प्रण्य मिश्रा, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु विभाग प्राधिकृत पत्र के साथ अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुये। सुनवाई के दौरान ही विशेष सचिव द्वारा छत्तीसगढ शासन का लिखित जवाब दिनांक – 17/2/2026 माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष ग्राम गणराज्य रूढ़ी प्रथा संयुक्त इलाका ग्राम सभा कोरछा, औधी विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य प्रकरण क्रमांक WPC No. 2537/2022 Sub-Judice (विचाराधीन) है जिसके कारण आयोग द्वारा दिनांक 07/06/2024 को आहूत सुनवाई में वांछित सूचना आयोग को पत्र दिनांक 02/08/2024 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई थी, परन्तु अनुशंसाओं पर मामले के माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण क्रियान्वयन माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही सम्भव है।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

आयोग में प्रार्थी एवं प्राधिकरण के पक्ष की सुनवाई के उपरान्त निम्न अनुसंशा माननीय आयोग द्वारा की गई:

1. राज्य शासन से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष ग्राम गणराज्य रूढ़ी प्रथा संयुक्त इलाका ग्राम सभा कोरछा औधी विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य प्रकरण क्रमांक WPC No. 2537/2022 Sub-Judice (विचाराधीन) है। अतः आयोग द्वारा वर्तमान में इस विषय में कोई संस्तुति किया जाना उचित नहीं होगा।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक-I
****

फाइल. सं. NCST/DEV-140/CG/9/2021-RO-RPR

दिनांक: 25.02.2026

विषय: श्री रामलाल कुमेटी, ग्राम – शारदा, पोस्ट – सरखेड़ा, श्री दारसुराम, ग्राम – मुंदेली, पोस्ट – सरखेड़ा, श्री चैनसाय, ग्राम – कोड़, पोस्ट – कंदाड़ी, श्री कंगलूराम, ग्राम – चांवरगाँव, पोस्ट – कनेली, श्री रामजी, ग्राम एवं पोस्ट – कनेली, श्री रमेश कुमार, ग्राम – खेड़ेगांव, पोस्ट – तेरेगांव, श्री सनकुराम, ग्राम – कोरावा औंधी (खेड़ेगांव), पोस्ट – तेरेगांव, एवं अन्य अभ्यावेदकगण, तहसील - मानपुर, जिला - राजनांदगाँव (छ.ग.) से प्राप्त अभ्यावेदनों, ''रूढ़ी प्रथा ग्रामों में गौणलघु वनोपज तेंदुपत्ता संग्रहण एवं खरीदी - बिक्री करने बाबत आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 25.02.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री आर. के. दूबे	उप निदेशक		
4.	श्री चेतन कुमार शर्मा	अनुसंधान अधिकारी		
5.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
6.	श्री विवेकानन्द शुक्ला	अन्वेषक		

अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	Shri Pranay Mishra	J.S. Forest	9450064090	[signature] 27/2/26
2.	Vimal Kumar	Law officer	8817811101	[signature]
3.				
4.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.				